

को पेश है। इन्हें आवली के
पत्र है।

26/09/2024

दस्तावेज

पदावली आज पेश की गई। बिना
बाकत एवं पत्र पेश होने पर पदावली
दि. 18/10/2024 से तलब की गई है। मूल
पत्र में आवासीय कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी
है। संसुत एवं पत्र एवं पदावली का अवलोकन
नकिया गया, आगे कार्यवाही नहीं चलाने है।
संसुत प्रार्थना - पत्र बाकत कार्यवाही बिना
स्वीकार किया जाकर पदावली में आवासीय
कार्यवाही ड्रॉप की जाकर ~~संसुत~~ पदावली
व्यारिफ की जाती है। पदावली के तलब शुरू
होकर बाद तकनीक काकिल हस्तार है।

सहायक कलेक्टर
आमर लोक (जयपुर)